IV 243/21

Signature ...
Acc Name :- Krishna Mohan Lal Srivastava
Acc Code :- UPECOLUP14126204
Acc Address :- Collectrate Court G.K.P
Mob. No. :- 7991212421
Licence No. :- 36 Tehsil Sadar, Distt.-Gorakhpur

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UP91823775631993T**
Certificate Issued Date	:	06-Oct-2021 04:52 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14126204/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14126204728550122971 24T
Purchased by	:	BALAJI E AND W TRUST THRU AVINASH KUMAR SRIVASTAVA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BALAJI E AND W TRUST THRU AVINASH KUMAR SRIVASTAVA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	BALAJI E AND W TRUST THRU AVINASH KUMAR SRIVASTAVA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	760 (Seven Hundred And Sixty only)

Please write or type below this line

Avinash Kumar Srivastava

Verified By.......
Locked By. ....
S.R.
SADAR-SECOND, GKP

QT 0003561211

Statutory Alert:
The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
... the onus of ... the certificate

ट्रस्ट–विलेख

ट्रस्ट का नाम – बालाजी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

ट्रस्ट कोष – 10,000/– रू0

स्टाम्प 760/–

मु. ट्रस्टी

हम कि अविनाश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री अवधेश नारायण श्रीवास्तव निवासी भरवालिया बुजुर्ग सिद्धार्थ नगर कॉलोनी जीडीए ऑफिस के पास सिद्धार्थ इनक्लेव तहसील सदर, जिला गोरखपुर का हूँ।

——–मुख्य न्यासी (प्रबंधक)

हम न्यासी के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम न्यासकर्ती की हार्दिक इच्छा है कि समाज मे सुख शान्ति आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा, स्वास्थय एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल--भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा उत्तम स्वस्थ व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारो को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान–प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक, विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाति, धर्म और सम्प्रदाय कहीं से भी बाधक न हों। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रो को अपने देश मे अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाये जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगो को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हमारे द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जिसका नाम **बालाजी एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट** होगा एवं ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय **भरवालिया बुजुर्ग सिद्धार्थ नगर कॉलोनी जीडीए ऑफिस के पास सिद्धार्थ इनक्लेव** तहसील सदर, जिला गोरखपुर 273016 होगा। हम न्यासी ने इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत मु0

Avinash Kumar Srivastava

10,000/–रू0 (दस हजार रू0 मात्र) का एक न्यास कोष स्थापित कर दिया है। विदित हो कि आज की तिथि मे उपरोक्त न्यास के पास कुल चल व अचल सम्पत्ति मालियत मुबलिग 10,000/– (दस हजार रूपया) की है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपयोग से धन की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुख्य न्यासी ने अपने द्वारा स्थापित न्यास के प्रबन्ध एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को निष्पादित कर रह है, जिसमे निम्न रूपेण व्यवस्थाएँ है:–

(1) यह कि हम न्यासी (प्रबंधक) द्वारा स्थापित न्यास का नाम तहसील सदर, जिला गोरखपुर होगा जिसे इस **बालाजी एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट** न्यास पत्र मे आगे **"न्यास अथवा ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

(2) यह कि हम न्यासी (प्रबंधक) द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रजिस्टर्ड कार्यालय **भरवालिया बुजुर्ग, सिद्धार्थ नगर कॉलोनी, जीडीए ऑफिस के पास, सिद्धार्थ इनक्लेव** ,तहसील सदर, जिला गोरखपुर 273016 में होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।

(3) यह कि हम न्यासी ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक प्रबंधक होगे और हम न्यासी न्यास के उक्त पदो के लिए निर्धारित अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर न्यास की समुचित व्यवस्था करते रहेगे। हम न्यासी द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियो जो ट्रस्ट के उद्देश्यो के अनुसार ट्रस्ट के हित मे ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करत है। भविष्य मे हम न्यासी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियो की भी नियुक्ति किया जा सकेगी। हम न्यासी द्वारा नामित ट्रस्टीयो तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। सदस्यो की कुल संख्या 04 से अधिक नही होगी ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुख्य न्यासी द्वारा ट्रस्ट के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है–

1– श्री शरद चंद्र त्रिपाठी पुत्र श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी निवासी सी 123/7, पुर्दिलपुर, सुमेर सागर, जिला गोरखपुर 273001 ।

2– श्रीमती पूजा श्रीवास्तव पत्नी श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव निवासी भरवालिया बुजुर्ग, सिद्धार्थ नगर कॉलोनी ,जीडीए ऑफिस के पास, सिद्धार्थ इनक्लेव, तहसील सदर,जिला गोरखपुर 273016।

3– श्रीमती किरण त्रिपाठी पत्नी श्री शरद चंद्र त्रिपाठी निवासी सी 123/7 ,पुर्दिलपुर सुमेर सागर जिला गोरखपुर 273001 ।

4– यह कि हम न्यासी (प्रबंधक) द्वारा **बालाजी एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

Avinash Kumar Srivastava

(1)– नवयुवक एवं नवयुवतियों को रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगो, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना तथा बालक एवं बालिकाओ के स्वरोजगार हेतु कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना तथा निर्बलो के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा सामान्य जन मे चेतना जागृत करना सर्वागीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना तथा समाज मे व्यवसाय परक कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़वा देने के लिए सभी प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी एवं बिजनेस मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक कॉलेजो की स्थापना करना तथा समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओ के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक अध्यात्मिक, चरित्रिक एवं बौद्विक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट, स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट मेडिकल कालेज इन्जिनियरिंग कालेज, टेक्निकल, **पैरामेडिकल** ,प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कालेजो एवं लॉ कालेजो की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना।

(2) शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बाल एवं बालिकाओ को सच्चरित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओ हेतु सी0बी0एस0सी बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 पैट्रर्न पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयो की स्थापना करना तथा भारत के नवयुवक एवं नवयुवतियो को मकैनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल ट्रेड के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे प्लेसमेन्ट के आधार पर स्वरोगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगो, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना तथा निर्बलो के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा सामान्य जन मे चेतना जागृत करना स्र्वागीण विकास के लिए प्रस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

(3) हिन्दू संस्कृति की रक्षा वसुधैय कुटुम्बकम की स्थापना करने के लिए प्रयास करना तथा अतिथि गृह विवाह गृह का प्रबंध करना तथा समाज मे सुख शान्ति आपसी सद्भावना व शिक्षा स्वस्थ्य एवं नागरिको आदर्श गुणो की स्थापना करना तथा समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल भूत आवश्यकताऐं भोजन शिक्षा आवास की निःशुल्क व्यवस्था करना ताकी शिक्षित बेरोजगारो को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे **" बालाजी एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट"** द्वारा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना एवं जनहित्त मे उक्त कार्यो को संचालित करने के लिए अधिकाधिक लाभ प्रदान करना तथा समाज के विभिन्न स्तर के लोगो से सहायता प्राप्त करना तथा विभिन्न संस्थाओ एवं समितियों का गठन करना तथा आगन्तुक साधु महात्मा बुद्व एवं विकलांग तथा निरीह लोगो की समुचित व्यवस्था समिति द्वारा करना व उनका सहायता करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन करवाना तथा पत्र पत्रिकाओ के माध्यम से लोगो को जागरूक कराना।

(4) विद्यालयो की स्थापना करना एवं उसका प्रचार प्रसार करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जनमानस को सचेत करना तथा करीब बालक एवं बालिकाओ की निःशुल्क एक मण्डप मे शादी–विवाह का आयोजन करवाना तथा अन्य संस्कारो का प्रबंध करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और आम जनता मे चेतना जागृत कर उन्हे शिक्षित एवं

Arinush Kumar Srivastava

रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेघावी छात्रो को देश विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना तथा भारतीय स्वच्छता अभियान को सत प्रतिशत सफल बनाने मे उपरोक्त ट्रस्ट के माध्यम से अथक प्रयास करना तथा समाज मे फैले भ्रष्ट्राचार को मिटाने हेतु सार्थक प्रयास कर हटाने मे सहयोग करना तथा भारतीय संविधा के रचनात्मक कार्यो के सिद्वान्त को व्यवहार मे परिवर्तन करके विशेषकर महापुरूष गॉधी डॉ भीमराव अम्बेडकर के सिद्वान्तो के तहत कार्य करना तथा इन लोगो के जीवन गाथा का प्रचार प्रसार करना और लोगो को जागरूक करना।

(5) लिंग–भेंद, जाति–पाति, छुआ–छुत, धर्म और सम्प्रदाय ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्वे / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

(6). शिक्षा प्रचार / प्रसार उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा / तकनीकी, गैर–तकनीकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

(7) समाज / स्थानीय आवश्यकताओ को देखते हुये नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलो तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

(8). शैक्षणिक क्षेत्र मे विभिन्न कक्षाओ के कमजोर विद्यार्थियो के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ जैसे–मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0जे0, जे0ई0ई0, ए0आई0ई0ई0ई0, आई0टी0आई0, पी0सी0एस0 लोवर, सब आर्डिनेट, सी0पी0एम0टी0, एस0एस0सी0, एम0बी0बी0एस0, बी0ए0, बी0एस0सी0 एम0एस0सी0, एम0काम0, एम0ए0टी0, सी0ए0टी0, सी0बी0आई0 इरिगेशन टेक्निकल एयर क्राप्ट एवं सम्पूर्ण कोचिग प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरो की व्यवस्था तथा उसका सचालन करना तथा उसमे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

(9) ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओ में महिलाओ को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

(10) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे एवं कमजोर वर्गो के लिये स्वरोजगार योजनाओ का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र मे कमजोर विद्यार्थियो के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

(11) युवाओ को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग, जैसे– सिंलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिग, स्क्रीनिंग, पेन्टिग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिग / बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण आदि जैसे– केन्द्रो को स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्ताकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओ को उपलब्ध कराना अन्य ट्रस्ट / सोसाइटी द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयो, महाविद्यालयो, तकनीकी विद्यालयो एवं कोचिंग संस्थानो के संचालन का कार्य करना।

(12) वृद्वो के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढने–लिखने एवं उन्हे खेलने की पूर्ण संविधा हो।

Avinash Kumar Srivastava

(13) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमो का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओ को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुचाना।

(14) राष्टीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यो के लोगो में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

(15) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमो हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण समपादित हो सके जैसे– यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण, एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणो का आयोजन करना।

(16) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।

(17) विभिन्न प्रकार के खेलो को को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

(18) एड्स, कैन्सर, टी0बी0, कोढ, मलेरिया, पोलिया, हेपेटाइटिस जैसे रोगो की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/ उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयो डीम्ड यूनिर्वसिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

(19) सरकार की सहायता से गॉवो एवं शहरो के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सडक निर्माण, पार्क शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

(20) प्राकृतिक आपदा जैसे– हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना।

(21) उन समस्त योजनाओ की क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागो व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(22) गरीब लोगो विशेषकर महिलाओ के कानूनी सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

(23) सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(24) किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन ट्रस्ट के क्रियाकलापो मे सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हो।

(25) सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओ/तंत्रो/कम्पनी /दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।

(26) ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रियाकलापो को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशो मे स्थापित करना या फैलाना।

Avinash Kumar Srivastava

(27) सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना तथा इनकी शर्तो की अनुपालन मे न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों को बंध कमे देना।

(28) भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना जैसे कि कौशल विकास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस व समाज के पिछडे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व सामान्य वर्ग की महिलाओ हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे कम्पयूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी0टी0पी0 सिलाई कढ़ाई, बुनाई पेन्टिग से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।

(29) स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण कार्यक्रमो को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्यो को करना तथा इस हेतु जगह सेवा कैम्पों व चिकित्सालयो, चिकित्सा शिक्षा केन्द्रो, बीमारो के परिचारको के रहने हेतु आश्रम गृहों का निर्माण एवं संचालन कर बिना लाभ हानि के सेवा भाव से कार्य करना तथा जनसंख्या हेतु परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं तरीको के प्रति आम जन मे जागरूकता पैदा करना तथा कैंसर एवं एड्स जैसे रोगो के बचाव हेतु जन चेतना जागृत करना व निदान हेतु सभी प्रकार के कार्य संचालित करना तथा दूर दराज के क्षेत्रों मे कैम्प लगाकर लोगो का ईलाज करना एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओ को संचालित करने हेतु सभी प्रकार के कार्य करना।

(30) पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र मे हर सम्भव कार्य कर प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा मानव जीवन के प्रति हितैषी पशु पक्षियो के विलुप्त होती प्रजातियों को समाप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक कार्यो को करना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

(1) समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओ व ट्रस्टो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार व विदेशी संगठनो से सहायता प्राप्त करना।

(2) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयो को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओ की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियो एवं उपसमितियो का गठन करना।

(3) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओ व समितियो के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमो को बनाना।

(4) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओ व समितियो के सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानो को लिखित रूप मे तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।

(5) ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओ की व्यवस्था के लिए शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र–छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध करना।

(6) मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट के हित मे क्रय विक्रय करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना।

Avinash Kumar Srivastava

(7) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओ व गठित समितियो मे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियो मे उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट मे निहित करना।

(8) ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओ, विद्यालयो, शिक्षण केन्द्रो चिकित्सालयो शोध केन्द्र, गौशालाओ व अन्य समस्त भर्तियो के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित मे अन्य कार्यो को करना।

(9) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ के हित मे व्यक्तियो संस्थाओ बैंक, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी विभागो से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतो से धन व सम्पत्तियो को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमो से ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए खर्च करना।

(10) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

(11) ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80–जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

(12) ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयो/महाविद्यालय व इन्स्टीच्यूट की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध मे सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।

5. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं सचांलन

(1) ट्रस्ट का सचालन ही मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक) होगा। मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा अपने जीवन काल मे अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकता है जो उनका विधिक वारिसान (पुत्र/पुत्री) होंगे इस प्रकार मुख्य ट्रस्टी अपनी वसीयत भी अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकता है। यदि किन्हीं परिस्थितियो में मुख्य ट्रस्टी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी विधिक वारिसान (पत्नी, पुत्र/पुत्री) नामित किये बिना ही हो जायेगा।

(2) मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) की अनुपस्थिति बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की स्थिति मे उसके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी प्रत्यायोजन के आधार पर उसके कार्यो को निष्पादित करेगा।

(3) मुख्य ट्रस्ट (प्रबंधक) किसी भी समय ट्रस्टी को पदच्युत करने मे सक्षम होगा इस प्रकार पदच्युत न किये जाने पर आजीवन ट्रस्ट्री जीवन भर ट्रस्ट मण्डल का सदस्य बना रह सकेगा।

(4) ट्रस्ट मण्डल के किसी भी सदस्य के पदच्युत किये जाने व मृत्यु होने होने या त्यागपत्र देने अथवा ट्रस्ट विरोधी कार्य करने व पागल हो जाने पर तथा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर तथा दीवालिया होने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा आवश्यकतानुसार नये ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी। ?

(5) ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण या गैर शिक्षण संस्थानो व संस्थानो का संचालन मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) के निर्देश के अनुसार उसके द्वारा नियुक्त या निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

Avinash Kumar Srivastava

(6) ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत किसी भी संस्था के कार्यो के लिये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किये गये खर्चो तथा बिलो को औचित्य के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास होगा।

(7) ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत क्षमता मे किये गये किसी कार्य के लिये ट्रस्ट या अन्य ट्रस्टियों का कोई दायित्व नही होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठकें–

1– वर्ष मे कम से कम तीन बार ट्रस्ट मंडल की आम बैठक होगी इसे ट्रस्ट मण्डल के सभी सदस्यो के अतिरिक्त ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओ व अन्य इकाईयो के वे सदस्य या पदाधिकारी जिन्हे बुलाया जायेगा भाग लेगे। इस बैठक की सूचना न्यूनतम एक सप्ताह पहले मुख्य ट्रस्टी द्वारा संबन्धित व्यक्तियों को दे दी जायेगी।

2– ट्रस्ट की आम आम बैठक के अतिरिक्त मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) किसी भी समय एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर ट्रस्ट मण्डल संबन्धित व्यक्तियो, संस्थाओ तथा ईकाईयों की बैठक बुला सकेगा।

6. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओ व ट्रस्ट्रो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना।

2– राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथ अन्य सरकारी, गैर सरकारी स्रोतो से या व्यक्तियो से सहायता प्राप्त करना।

3– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की गठित इकाइयो के रूप मे संस्थाओ इत्यादि की स्थापना करना।

4– ट्रस्ट के अधीन गठित संस्थाओ व अन्य इकाईयो की सदस्यता तथा अन्य विषयो के लिये नीति निर्धारण करना तथा ऐसी संस्थाओ व अन्य इकाईयो इत्यादि की आवश्यकता के लिये धन तथा आय के श्रोतो का प्रबन्ध करना।

5– ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा इसकी अभिवृद्वि के लिये प्रयास करना।

6– 1) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु संस्थाओ के अतिरिक्त अन्य इकाइयो जैसे विद्यालयो चिकित्सालयो, गौशालाओ, प्रशिक्षण केन्द्रो एवं अन्य सेवा केन्द्रो इत्यादि की स्थापना तथा संचालन करना।

2) ट्रस्ट की अधीनस्थ इकाइयो मे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों मे उनके संचालन के लिये गठित समितियो को भंग कर उनकी समस्त व्यवस्था ट्रस्ट मे निहीत करना।

7– ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधीनस्थ संस्थाओ तथा अन्य इकाइयो की स्थापना तथा संचालन के लिये आवश्यक सभी कार्यो को निष्पादित करना तथा इसके लिये मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) के निर्देशानुसार किसी व्यक्ति या विशेषज्ञ को सेवा इत्यादि के लिये अनुबंधित करना।

8– ब्याज, लाभान्स तथा आय न्यास कोष का वसूल करे तथा उससे वसूली करने का खर्च तथा अन्य आकस्मिक व्यय यदि कोई हो तो अदा करे।

9– ऐसे समाज की रचना करना जिसमे बिना किसी जाति विश्वास अथवा धर्म के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर की उपलब्धि प्राप्त हो सके।

Avinash Kumar Srivastava

10– ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने या ट्रस्ट के हितो मे विपरीत आचरण करने की दशा मे ट्रस्ट मण्डल द्वारा सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप मे संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप मे आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

10– ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधनीस्थ संस्थाओ तथा अन्य इकाइयो के संचालन या अन्य किसी अनिर्दिष्ट परिस्थितियों के उत्पन्न होने या निर्देश स्पष्ट न होने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) से निर्देश प्राप्त करना तथा ऐसे निर्देशो का सद्भावना पूर्वक पालन करना।

7– **क) मुख्य ट्रस्टी की शक्तियॉ–**

1– मुख्य ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट मण्डल का प्रधान होगा। उसके निर्देश व निर्णय से ही ट्रस्ट की समस्त व्यवस्था संचालित की जायेगी।

2– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यो की नियुक्ति करेगा।

3– मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्टी के हितो के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी ट्रस्टी को पदच्युत करने मे सक्षम होगा।

4– ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी भी दायित्व का प्रत्यायोजन ट्रस्ट मंडल के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति को किया जा सकेगा।

5– मुख्य ट्रस्टी किसी भी दायित्व के साथ शक्तियों भी प्रत्योजित कर सकेगा परन्तु ऐसा प्रत्यायोजन सदैव लिखित होगा तथा वापस लिया जा सकेगा। इस संबंध मे मुख्य ट्रस्ट्री किसी कार्य विशेष या कार्यो की श्रृंखला के लिये किसी व्यक्ति या ट्रस्टी को ट्रस्ट की ओर से संविदा, संव्यवहार या सेवायोजन करने के लिए भी अधिकृत कर सकेगा। ऐसा अधिकृत व्यक्ति ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी के निर्देशो के अधीन रहते हुए हस्ताक्षर इत्यादि भी कर सकेगा।

6– मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) ट्रस्ट के लिये संपत्ति क्रय कर सकेगा तथा ट्रस्ट के हितो मे आवश्यक होने पर विक्रय या अन्तरित भी कर सकेगा।

7– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट की अधीनस्थ इकाइयो मे भी पदाधिकारियों, सदस्यो इत्यादि की नियुक्ति करेगा। ऐसी समस्त नियुक्तिया मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निरस्त भी की जा सकेगा तथा ऐसे समस्त सदस्य, पदाधिकारियों, संस्थाये व इकाइयॉ मुख्य ट्रस्टी के अधीन सदभाव पूर्वक कार्य निष्पादन करेगे। कार्य निष्पादन मे सदभावना या कार्यकुशलता का अभाव प्रतीत होने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा ऐसे सदस्यों पदाधिकारियों, कर्मचारियों या अन्यथा नियोजित व्यक्तियों को किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।

8– मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओ व अन्य इकाइयो के संचालन के लिये नियम बनाना तथा संशोधन कर सकेगा।

9– ट्रस्ट इसकी सस्थाओ व अन्य इकाइयों के कार्यकलापओ के सम्बन्ध मे किसी अन्य अनिर्णय या विवाद की स्थिति मे मुख्य ट्रस्ट (प्रबंधक) का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

Avinash Kumar Srivastava

7– **ख) मुख्य ट्रस्टी के कर्तव्य–**

1– ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओ व इकाइयो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप मे कार्य करेगा।

2– ट्रस्ट की बैठके आहुत करना तथा इसकी पूर्व सूचना सभी संबन्धित व्यक्तियो को देना।

3– ट्रस्ट की कार्यवाहियों को लेखाबद्व कराना।

4– ट्रस्ट की सभी चल अचल सम्पत्तियों की रक्षा करना। इस हेतु आवश्यक होने पर विधिक कार्यवाही करना तथा इस निमित्त परामर्स लेना, विलेख निष्पादित करना, किसी अधिवक्ता की सेवाये लेना तथा ट्रस्ट के मुकदमें की पैरवी करना।

5– ट्रस्ट की संपत्तियो मे वृद्वि के लिये यथोचित प्रयास करना, इस निमित शेयर, ऋण पत्र राष्ट्रीय बचत पत्र, सावधि जमा खाना इत्यादि मे निवेश करना।

6– ट्रस्ट के लिये दान, सहायता अथवा अन्यथा प्राप्त धनराशि को प्राप्त करना तथा उसकी रसीद देना।

7– ट्रस्ट की बैठको की अध्यक्षता करना।

8– ट्रस्ट के समस्त आय–व्यय का लेखा रखना तथा लेखा परीक्षण करना।

9– ट्रस्ट, इसकी अधीनस्थ संस्थाओ व अन्य इकाईयो के समचित संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाना।

10– ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओ अन्य इकाइयो के लिये बनाये गये नियमो से ट्रस्ट मंडल को अवगत कराना।

11– इस विलेख द्वारा प्रतिबन्धो के अधीन न्यासीगण इस न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त आमदनी से भारत तथा विदेश मे इसके उद्देश्यो की पूर्ति हेतु खर्च करने के लिए उपयोग कर सकता है जहॉ तक की सम्भव हो वे इस बात को ध्यान मे रखेगे की आयकर अधिनियम सन् 1961 की धारा (11) अथवा अन्य किसी समय–समय पर जारी अधिनियम के अधीन कर मे छूट प्राप्त करके इस सम्पत्ति को हानी से बचा सके।

12– यदि ट्रस्ट मण्डल के कोष को भारत के बाहर निवेस करना हो तो इस आशय की अनुमति डायरेक्ट टैक्स की केन्द्रीय परिषद से पूर्ण मे प्राप्त कर ले।

13– न्यासीगण न्यास के उपयोग तथा लाभ हेतु यदि आवश्यकता हो जिससे न्यास का लाभ हो सके, के लिए किन्ही शर्तो पर जमानत देकर अथवा अन्य प्रकार से धन प्राप्त करे अथवा ऋण हासिल कर सकते है।

14– न्यासी किसी व्यक्ति, निगम, संस्था राज्य एवं केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य न्यास से दान, अन्शदान, उपहार या भेट स्वीकार कर सकते है यह सब किसी भी रूप मे स्वीकार किये जा सकते है चाहे वे किसी प्रकार की चल या अचल सम्पत्ति हो परन्तु ऐसी किसी दान, अनुदान आदि को प्राप्त करने हेतु उसका कारण निर्धारित करने के लिए बिना मात्र अपने विवेक से नही स्वीकार करेगे ऐसी सभी सम्पत्तियॉ चल अथवा अचल इस प्रकार से प्राप्त होने के पश्चात् वे या तो ट्रस्ट की सम्पत्ति का अंश होगी अथवा दानकर्ता की इच्छानुसार रहेगी ऐसे दान यदि स्वीकार कर

Avinash Kumar Srivastava

आवेदन सं०: 202100950032033

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 243**	**वर्ष: 2021**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 760 बाज़ारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव , Avinash Kumar Srivastava
पुत्र श्री अवधेश नारायण श्रीवास्तव
व्यवसाय : अन्य
निवासी: भरवलिया बुजुर्ग सिद्धार्थ नगर कालोनी जीडीए ऑफिस के पास सिद्धार्थ इनक्लेव तहसील सदर, जिला गोरखपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 08/10/2021 एवं 04:36:26 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

24452

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के० के० तिवारी
उप निबंधक :सदर द्वितीय
गोरखपुर
08/10/2021

रजत श्रेष्ठ- कनिष्ठ सहायक निबंधन
निबंधक लिपिक

लिये गय तो उनका विनियोग तथा निस्तारण न्यासियो के निर्णय के अनुसार इस विलेख के उपनियमों तथा शर्तो की सीमा के अन्दर ही सदा किया जायेगा।

8— **ट्रस्ट का कोष—**

1— ट्रस्ट के कोष की सुचारू व्यवस्था के लिये ट्रस्ट के नाम से किसी भी भारत वर्ष के राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर मे खाता खोला जायेगा जिसमे ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशियॉ निहित होगी।

2— मुख्य ट्रस्टी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर एक से अधिक खाते भी ट्रस्ट के नाम से खोले जा सकेगे।

3— ट्रस्ट के सभी खातो का संचालन मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) **अविनाश कुमार श्रीवास्तव** के हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जायेगा और यही व्यवस्थाए आने वाले समय मे भी मान्य होगी।

4— मुख्य न्यासी सम्पत्तियों, देनदारियों तथा आमदनी व खर्च जो न्यास से सम्बन्धित हो का सही खाता का रख रखाव करायेगे तथा वर्ष मे एक बार उसकी जॉच लेखा परीक्षण से करायेगे तथा उक्त खातो एवं बैलेन्सीट का सत्यापन किसी ऐसे चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा जिसकी नियुक्ति न्यासियों द्वारा तनख्वाह पर अथवा अन्य रूप से की गई हो, कराया जायेगा ऐसे वार्षिक लेखा विरण की लेखा परीक्षण न्यासियों द्वारा अंगीकृत एवं हस्ताक्षरित जैसे ही वे पूर्ण हो किया जावेगा।

9— **ट्रस्ट की परिसंपत्तियॉ—ट्रस्ट की संपत्तियो की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से की जायेगी—**

1— ट्रस्ट के उददेश्यो के क्रियान्वयन हेतु मुख्यट्रस्ट (प्रबंधक) द्वारा व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओ बैंको या सरकार से दान सहायता या ऋण लिया जा सकेगा। ट्रस्ट की आय बढ़ाने के लिए किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से प्रयास किये जा सकेगे। ट्रस्ट की आय के निम्नलिखित प्रमुख श्रोत होगे—

1— देशी एवं विदेशी व्यक्तियो संस्थाओ से दान, चंदा व ऋण।

2— सरकारी या गैर सरकारी अनुदान।

3— कृषि।

4— देशी एवं विदेशी बैंको, वित्तीय संस्थाओ व व्यक्तियो से ऋण।

5— फिक्स डिपाजिट, ऋण पत्रो से ब्याज, शेयर, म्युचुअल फड, बांड्स इत्यादि से लाभांश।

6— भूमि, भवन, परिसर, वाहन या उपकरणो के किराये से आय।

7— कोई अन्य श्रोतो या ऐसा श्रोत जो ट्रस्ट के लिये उपयुक्त हो।

2— **मुख्य ट्रस्टी,** ट्रस्ट इसकी संस्थाओ व इकाइयो के कार्यो के लिए भूमि, भवन वाहन या आवश्यक उपकरण खरीद सकेगा या किसी चल अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा, मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्तियों को किराये पर दे सकेगा या विक्रय कर सकेगा।

3— ट्रस्ट की सम्पत्तियो को नुकसान पहुॅचाने वाले को दंडित करंने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल के मुख्य न्यासी (प्रबंधक) को प्राप्त होगा।

4— ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओ व अन्य इकाईयो के पदाधिकारियो की नियुक्ति तथा सेवा शर्तो के संबंध मे मुख्यट्रस्ट के कार्यो के लिए वैतनिक अथवा शुल्क ग्राही कर्मचारियो या विशेषज्ञो की सेवाये ली जा सकेगी।

Avinash Kumar Srivastava

आवेदन सं॰: 202100950032033

बही सं॰: 4 रजिस्ट्रेशन सं॰: 243 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री अवधेश नारायण श्रीवास्तव Avinash Kumar Srivastava

निवासी: भरवलिया बुजुर्ग सिद्धार्थ नगर कालोनी जीडीए ऑफिस के पास सिद्धार्थ इनक्लेव तहसील सदर, जिला गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

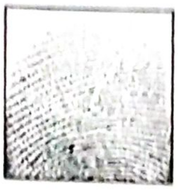

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

कुमारी कृति सिंह , पुत्री श्री गिरीश चंद्र सिंह

निवासी: नदवा विशुनपुर जिला कुशीनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री लतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , पुत्र श्री कुलदीप लाल श्रीवास्तव

निवासी: सी/105/537 छोटे काजीपुर घोस कम्पनी, सदर, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

के॰ के॰ तिवारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गोरखपुर

रजत श्रेष्ठ- कनिष्ठ सहायक निबंधन
निबंधक लिपिक

5— ट्रस्ट के अधीन किसी संस्था या इकाई के पद संबंधी अथवा विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा किसी न्यायालीय विवाद की स्थिति मे वाद लम्बित रहने तक ऐसी संस्था की परिसंपत्तियॉ ट्रस्ट मे निहित रहेगी।

6— ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्व किसी विधिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, मुख्य ट्रस्टी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी। मुख्य ट्रस्टी स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिवक्ता भी नियुक्त कर सकेगा।

7— ट्रस्ट के आय–व्यय व लेखा परीक्षा के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

8— ट्रस्ट मण्डल, मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार वे सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति मे सहायक हों।

10— **ट्रस्ट के अभिलेख–**

1— ट्रस्ट के अभिलेखो तैयार कराने के दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा इसके लिये मुख्य रूप से सूचना रजिस्टर, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा रजिस्टर, मुख्य ट्रस्टी द्वारा जारी नियमावली का रजिस्टर इत्यादि सम्मिलित होगे।

2— अभिलेख तैयार कराने के लिये मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) द्वारा की जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकेगी तथा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

घोषणा

ट्रस्ट की ओर से मै **अविनाश कुमार श्रीवास्तव** मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक) के रूप मे यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़कर व समझ कर स्वास्थ्य मन व चित से स्वेच्छा से निबंधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण Kirty

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी

1— Kirty Singh D/O Mr. Girish Chandra Singh, R/O Nadaura Bishunpur Kushinagar

Avinash Kumar Srivastava
(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)

2— डा० लतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव S/o श्री कुलदीप लाल श्रीवास्तव C/105/537 ... गोरखपुर-273001

मजमूनकर्ता
(हरिशंकर पांडेय एडवोकेट)
कलेक्ट्रेट कचहरी, गोरखपुर

दिनांक– 08-10-2021

कलेक्ट्रेट कचहरी, गोरखपुर

आवेदन सं०: 202100950032033

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 282 के पृष्ठ 193 से 218 तक क्रमांक 243 पर दिनाँक 08/10/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के० के० तिवारी

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गोरखपुर

08/10/2021